Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
July to September 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVII, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

भारतीय संविधान में बाल श्रम निरोध

रोहित*

* (राजनीति विज्ञान) वार्ड नंबर 11, अनुपगढ (राज.) भारत

प्रस्तावना – भारत का संविधान स्वतंत्र भारत का एक अनुपम विस्तृत दस्तावेज है जिसमें नव स्वतंत्र भारत की लगभग प्रत्येक समस्या के समाधान की दिशा निर्दिष्ट करने का प्रयत्न किया गया है। उसी पर चलकर कालान्तर में विविध कानूनों का निर्माण किया गया। भारत के विशाल संविधान में अनुच्छेद–24 में बाल श्रम की समस्या का उपचार करने का भी सार्थक प्रयास किया गया है।

बाल श्रम से तात्पर्य उन समस्त कार्यकलापों से है जिनसे बच्चों का मानसिक, शारीरिक, सामाजिक एवं नैतिक विकास अवरूद्ध होता है. जो इस दृष्टिकोण से अत्यंत हानिप्रद है. इनसे बच्चों की स्कूली शिक्षा में व्यवधान उत्पन्न होता है जैसे यह उन्हें स्कूल जाने के अवसर से वंचित करते हैं अथवा उनके शिक्षण की अवधि को सीमित कर उन्हें समय से पूर्व स्कूल छोड़ने के लिये विवश करते हैं। इसी का वीभत्स रूप बच्चों को उनके परिवार से दूर करना, उन्हें गुलाम बनाना एवं उन्हें जीवन एवं स्वास्थ्य संबंधी गंभीर रूप से खतरनाक दशाओं में कार्य करने के लिये विवश करना है। जिस समय भारत स्वतंत्र हुआ, उस समय यह समस्या विकटतम स्वरूप में दृष्टिगोचर होती है। किसी भी देश का आर्थिक विकास उनके मानव संसाधनों की गुणवत्ताा पर निर्भर करता है। एक आदर्श, सक्रिय एवं जागरूक नागरिक के निर्माण के लिये उसे स्वस्थ एवं सुरक्षित बचपन उपलब्ध करवाना वांछनीय है, साथ ही यह बच्चों की नैसर्गिक आवश्यकता भी है। बाल श्रम के दीर्घकाल में होने वाले नुकसानों को ध्यान में रखकर इसके निरोध की दिशा में सार्थक प्रयास उस समय अत्यंत आवश्यक थे। यही कारण है कि भारत के दूरवर्शी संविधान निर्माताओं ने बाल श्रम के निरोध हेतु उपयुक्त प्रावधान किये तथा संविधान के लचीलेपन ने उन प्रावधानों में समयानुसार परिवर्तन का रास्ता भी उपलब्ध करवाया।

भारतीय संविधान में शोषण के विरूद्ध अधिकतर अत्यंत महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है यह भारत के प्रत्येक नागरिक को किसी भी प्रकार के जबरन श्रम न करवाने की सुरक्षा की गारंटी देता है। यह संविधान के अनुच्छेद–23 एवं अनुच्छेद–24 में निहित है जिसके माध्यम से शोषण के विरूद्ध अधिकार की गारंटी देता है। पराधीन भारत में शोषण अत्यंत व्यापक स्तर पर व्याप्त था। भारत के संविधान के अनुच्छेद 23 में मानव तस्करी एवं बलात श्रम के निषेध संबंधी व्यवस्थाएँ व्यापक स्तर पर स्थापित की गई है वहीं अनुच्छेद–24 पूर्णत बाल श्रम से संबंधित प्रावधान करता है, यह कारखानों बच्चों के रोजगार में पर प्रतिबंध लगाता है। इसके अनुसार 'चौवह वर्ष से कम उम्र के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने या खदान में काम करने के लिये नियोजित नहीं किया जायेगा या किसी भी खतरनाक रोजगार में नहीं लगाया जायेगा।' यह अनुच्छेद बिना किसी अपवाद के किसी भी खतरनाक उद्योग या कारखानों या खदानों में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर रोक लगाता है। इसमें बाल श्रमिक की आयु सीमा 14 वर्ष मानी गयी है तथा यह बड़े ही व्यापक रूप से समस्त खतरनाक कार्य स्थलों पर बाल श्रमिकों की नियुक्ति एवं उपस्थिति को पूर्णत: प्रतिबंधित करता है। यद्यपि गैर खतरनाक कार्यों में बच्चों के रोजगार एवं नियुक्ति की अनुमति दी गयी है तथा इस अनुच्छेद में व्यापक स्तर पर खतरनाक क्षेत्रों में बच्चों को बाल श्रम से बचाया जिससे उनके शारीरिक एवं मानसिक विकास पर कोई विपरीत नकारात्मक प्रभाव न पड़े।

संविधान में बाल श्रम निरोध के प्रावधान करने मात्र से इस चिन्ताजनक समस्या का हल संभव नहीं था, वरन इसके परिपालन में कानून बनाने की भी आवश्यकता थी। स्वतंत्र भारत में कारखानों में बच्चों के रोजगार के लिये न्यूनतम आयु निर्धारित करने का कार्य कारखाना अधिनियम 1948 में किया जिसने यह आयु सीमा 14 वर्ष निर्धारित की थी। कालान्तर में 1954 इसमें यह संशोधन किया गया कि 17 वर्ष के कम उम्र के बच्चों से रात में काम नहीं करवाया जा सकता है। अनुच्छेद–24 के परिपालन में पारित दूसरा कानून खान अधिनियम, 1952 है जो खदानों में 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की नियुक्ति को प्रतिबंधित करता है। इस दिशा में अत्यधिक प्रभावी तीन अधिनियम बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 एवं बाल श्रम (निषेध और विनियमन) संशोधन अधिनियम 2016 एवं 2017 है। 1979 में गुरूपाद स्वामी समिति, जो कि भारत की केन्द्र सरकार द्वारा गठित वैधानिक समिति थी, का मत था कि बाल श्रम का मूल कारण गरीबी है। इसी समिति के निष्कों के आधार पर बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम 1986 पारित किया गया। 1986 का अधिनियम 13 व्यवसायों एवं 57 प्रक्रियाओं में बच्चों के रोजगार को प्रतिबन्धित करते हुये यह स्पष्ट करता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो अभी 14 वर्ष की उम्र का भी नहीं है, वह कहाँ कार्य कर सकता है और कहाँ उसे नियोजित नहीं किया जा सकता है। इसी सुधारात्मक व्यवस्था को आगे बढ़ाते हुये 2016 के संशोधन अधिनियम में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को रोजगार पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया जिससे ये बच्चे बाल श्रम की जटिलताओं से बच सके तथा कम से कम प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने के अवसर उन्हें प्राप्त हो सके। साथ ही बाल सुरक्षा को ध्यान में रखते हुये 14 से 18 वर्ष की आयु के लोगों को खतरनाक व्यवसायों एवं उपक्रमों में रोजगार देने को भी पूर्णत: प्रतिबंधित

कर दिया। पारिवारिक व्यवसायों एवं कलाकारों के रूप में कार्य करने वालों को अवश्य इस प्रतिबंध से मुक्त रखा गया। इसके पश्चात भी इस क्षेत्र में नवीनतम परिवर्तन वांछनीय थे अतएव बाल श्रम (निषेध एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2017 द्वारा पारिवारिक व्यवसायों तथा कलाकारों के रूप में कार्य करने वाले श्रमिकों को भी सुरक्षा प्रदान करने हेतु काम के घंटे एवं शर्ते भी तय किये गये। यह अधिनियम बाल एवं किशोर श्रमिकों की रोकथाम, निषेध, बचाव एवं पुनर्वास के लिये एक योजनाबद्ध विशिष्ट ढांचा भी तैयार करने का मार्गदर्शन करता है। कानूनों के निर्माण एवं परिपालन के साथ-साथ भारत सरकार अन्य प्रयासों एवं परियोजनाओं के माध्यम से प्रत्यनशील बनी हुयी है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, इण्डस परियोजना और राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एनसीएलपी) का सफल क्रियान्वयन सरकार के सार्थक प्रयास हैं।

भारतीय संविधान की मंशा एवं भारत सरकार के बाल श्रम निरोध कानूनों के बाद भी आज भी यह समस्या देश में बनी हुयी है, जिसकी उपस्थिति समग्र विकास के 2030 के लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में एक प्रमुख बाधा है जिसे कानूनी प्रयासों के साथ जन चेतना, शिक्षा के विकास, गरीबी उन्मूलन, बेरोजगारी रोकने जैसे उपयों से सीमित किया जा सकता है। यदि परिवार के बड़े सवस्य रोजगार पाकर परिवार का भरण पोषण सुचारू रूप से कर रहे हे तो बच्चों को रोजगार में लगाने की आवश्यकता ही नहीं होगी। जनकल्याणकारी योजनाएँ एवं नैतिक मूल्यों का विकास भी इस दिशा में सकारात्मक भूमिका निभा रहे हैं। परिवार नियंत्रण की ओर ध्यान देना भी अपेक्षित है। शिक्षा का व्यापक विस्तार एवं शैक्षणिक सुधार के माध्यम से वांछित परिणामों की उम्मीद की जा सकती है। परन्तु मूल बात यह है कि संविधान के 24वे अनुच्छेद में यदि बाल श्रम की गंभीरता को आंकते हुए प्रावधान न किये होते तो आज परिदृश्य दूसरा ही होता, इस हेतु सम्पूर्ण भारतीय नागरिक भारत के संविधान को नमन करते हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची:-

1. अम्बेडकर, बी. आर. भारत का संविधान।
2. राय, रामबहादुर भारतीय संविधान, अनकही कहानी।
3. त्रिपाठी, विनायक बाल श्रम और अपराध।
4. शिवहरे रोली, दुबे प्रशान्त बाल श्रम।

****